संख्या-71-3099/100/2020-03

104/2022/I/193418/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैनबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्डय विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 216.8483 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त विद्युत संयोजन हेतु रू0 3.8343 करोड़ को सम्मिलित करते हुए मेडिकल कालेज, एटा की वर्तमान लागत रू0 220.6826 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 190.3243 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	**शासनादेश संख्या व दिनॉक**	**धनराशि (रू0 करोड़ में)**
1	संख्या-39/2018/908/71-3-2018-एन0एम0-04/2018, दिनॉक 14-11-2018	50.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-82/2019/1275/71-3-2019-एन0एम0-04/2018, दिनॉक 14-11-2019	14.14 (केन्द्रांश)
3	संख्या-12/2020/65/71-3-2020-एन0एम0-04/2018, दिनॉक 17-02-2020	15.00 (राज्यांश)
4	संख्या-55/2020/376/71-3-2020-एन0एम0-04/2018, दिनॉक 24-09-2020	20.00 (राज्यांश)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइटhttp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	संख्या-91/2020/1437/71-3-2020-एन0एम0-04/2018, दिनॉक 30.12.2020	20.00 (केन्द्रांश)
6	संख्या-30/2021/313/71-3-2021-एन0एम0-04/2018, दिनॉक 24.02.2021	43.00 (केन्द्रांश)
7	संख्या-98/2021/ई-1755459/71-3-2021-एन0एम0-04/2018, दिनांक 12.08.2021	13.85(केन्द्रांश)
8	संख्या-124/2021/ई-1622529/71-3-2021-, दिनांक 21.09.2021	3.8343 (विद्युत मद)
9	संख्या-143/2021/ई-1929720/71-3099/100/2020-03, दिनांक 20.12.2021	10.50(राज्यांश)
	योग	**190.3243**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान लागत रू0 220.6826 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष **रू0 10.8960 करोड़ (रू0 दस करोड़ नवासी लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि राज्यांश** के रूप में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तनर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-39/2018/908-71-3-2018-एन0एम0-04/2018, दिनांक 14-11-2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,89,60,000 (रुपये दस करोड़ नवासी लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058901 मेडिकल कालेज, एटा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइटhttp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-112/X-2022-23, दिनांक 19 जुलाई, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः- तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा।
7. निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम), लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइटhttp://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।